

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू-कॉन्फेरेटिव बिल्डिंग
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा
राँची-834024

मुकेश कुमार, भा०प्र०से०
राज्य परियोजना निदेशक

☎0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:-jepc.nic.in

पत्रांक: GE/8/69/2011-12

दिनांक:...../...../2017

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,
झारखण्ड ।

विषय : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के संबंध में ।


महाशय,

उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं का चयन एवं नामांकन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह आवश्यक है कि समाज की जरूरतमंद बालिकाओं का ही चयन इन विद्यालयों में हो । इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में जनप्रतिनिधियों की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावकारी होगी । इस तथ्य को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 04.07.2016 को संपन्न 46वीं बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई जिसका स्वरूप निम्नवत् है :-

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति ।
2. क्षेत्र के माननीय सांसद एवं क्षेत्र के माननीय विधायक ।
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी ।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ।
5. संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ।
6. संबंधित विद्यालय की वार्डेन ।
7. जिला बालिका शिक्षा प्रभाग प्रभारी ।

उक्त कोटि के विद्यालयों में नामांकन के संबंध में पूर्व में कई आदेश-निदेश निर्गत किए गए हैं । पुनः स्मारित करते हुए कहना है कि चयन समिति प्रखण्ड स्तर से प्राप्त सूची का विश्लेषण कर नामांकन में वैसी बालिकाओं को प्राथमिकता देंगे जो वास्तविक रूप से जरूरतमंद हैं । कक्षा 6 से 8 में अतिरिक्त 50 बालिकाओं के नामांकन में आदिम जनजाति समूह की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी । जिला चयन समिति यह सुनिश्चित कर लें कि आदिम जनजाति समूह की छात्राओं का पूर्ण आच्छादन हो गया है एवं तत्पश्चात् ट्रेफिकिंग से प्रभावित बालिकाएँ, नक्सल प्रभावित बालिकाएँ एवं

बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव में ये माहौल बनाना है, घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है ।



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू-कॉपरेटिव बिल्डिंग
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा
राँची-834024

☎ 0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:-jepc.nic.in

मुकेश कुमार, भा०प्र०से०
राज्य परियोजना निदेशक

सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पलायन करने वाले व्यक्तियों/परिवार की सूची प्राप्त की जाए एवं नामांकन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को चिन्हित कर नियमानुसार उनका नामांकन विद्यालय में किया जाये । नामांकन के संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा ज्ञापांक 2501/सी0एस0 दिनांक 29.12.2016 से भी इस हेतु विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

उपर्युक्त तथ्यों के अंतर्गत अनुरोध है कि निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में नियमानुसार नामांकन के संबंध में अविलम्ब कार्रवाई प्रारंभ करते हुए दिनांक 30 मार्च, 2017 तक इसे पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए ताकि 01/04/2017 से नये सत्र की पढ़ाई आरंभ हो सके ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मुकेश कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : 45/8/69/11-12/249 राँची/दिनांक: 02/02/2017

प्रतिलिपि: सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(मुकेश कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव में ये माहौल बनाना है, घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है ।